पत्रांक–22/अनु0–02/2023 सा0प्र0.16100../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी सरकारी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
पुलिस महानिदेशक,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–23.8.2023

विषयः–सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी एकीकृत मार्गदर्शिका तथा FAQ के संबंध में।

महाशय,

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अध्याधीन राज्य की सेवा में कार्यरत कर्मियों के सेवाकाल में असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को कठिनाईयों से संरक्षण प्रदान करने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्यकर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् उसके एक योग्य आश्रित को उसकी योग्यता अनुसार वर्ग–3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 के अंतर्गत किया गया है। परिपत्र के निर्गत होने के बाद कालक्रम में आवश्यकतानुसार उक्त परिपत्र में अनेक संशोधन किए जाते रहे हैं। संशोधन संबंधी परिपत्रों की बहुलता के कारण, सुगम उपयोग हेतु अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित एक एकीकृत मार्गदर्शन निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

अतः दिनांक–15.08.2023 तक एतद् विषयक निर्गत सभी परिपत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में एक एकीकृत मार्गदर्शिका तथा FAQ संलग्न है। भविष्य में राज्य सरकार द्वारा अनुकम्पा के संदर्भ में कोई नया प्रावधान किये जाने पर संलग्न एकीकृत मार्गदर्शिका तथा FAQ तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Rajendra 22.8.2023

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुकम्पा नियुक्ति योजना

(एकीकृत मार्गदर्शिका)

(दिनांक—05.10.1991 से 15.08.2023 तक)

अनुक्रमणिका

क्रम सं0	शीर्षक	पृष्ठ सं0
1	अनुकम्पा योजना का उद्देश्य	1
2	प्रभावी होने की तिथि	1
3	प्रभाव क्षेत्र	1
4	योजना किस पर प्रभावी है	1
5	अनुकम्पा योजना के अन्तर्गत आवेदक	3
6	किनका चयन नहीं हो सकता है	3
7	आवेदन समर्पित करने की समय–सीमा	4
8	नाबालिग होने की स्थिति में आवेदन की समय–सीमा	4
9	लापता सरकारी सेवकों के मामले में अनुकम्पा आवेदन का समर्पण	4
10	भविष्य में शादी नहीं करने संबंधी शपथ–पत्र	4
11	लापता सरकारी सेवकों के मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति	5
12	आश्रितों का स्व–घोषणा पत्र	5
13	अनुकम्पा नियुक्ति के समय आवेदक का घोषणा–पत्र	6
14	अनुकम्पा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात	6
15	आवेदन का समर्पण	7
16	अनुकम्पा योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजे जाने हेतु जाँच–पत्र	8
17	अनुकम्पा आवेदन हेतु अधिकतम उम्र की क्षान्ति	8
18	मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी के पेंशनर होने की स्थिति में	8
19	महादलित सरकारी सेवक के आश्रितों को अर्हता सशर्त्त छूट	8
20	आश्रित के Gainfully नियोजित रहने के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति	9
21	अनुकम्पा आवेदन पर विचारण/अनुशंसा हेतु समितियाँ	9
22	केन्द्रीय अनुकम्पा समिति का विचारण क्षेत्र	11
23	अनुकम्पा समितियों की नियमित बैठक	11
24	अनुकम्पा योजना के क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा	11
25	आरक्षण नीति संबंधी निर्देश	11
26	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार	12
27	नियुक्ति पत्र का निर्गत किया जाना	12
28	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुमान्य पद	13
29	नियुक्ति संबंधी विशेष निर्देश	14
30	विभाग/कार्यालयों में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने पर	14
31	कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति	14
32	अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुशंसित मामलों में पुनर्विचार	15
33	निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान	15
34	अनुकम्पा नियुक्ति की समाप्ति	16
35	अनुलग्नक – 1	16
36	अनुलग्नक – 2	18

अनुक्रमणिका

क्रम सं0	परिपत्र संख्या	दिनांक	पृष्ठ सं0
1	FAQ		19
2	11715	13/07/2022	25
3	13573	11/11/2021	28
4	7095	15/07/2021	30
5	5014	16/04/2021	33
6	11959	30/08/2019	36
7	14157	09/11/2017	38
8	9101	25/07/2017	40
9	1342	06/02/2017	41
10	11462	24/08/2016	44
11	8082	05/06/2015	46
12	7722	27/05/2015	47
13	16973	10/12/2014	49
14	15783	19/11/2014	52
15	5958	25/04/2012	53
16	4188	25/10/2010	56
17	1699	05/05/2010	58
18	10073	18/12/2008	59
19	7146	31/10/2008	60
20	2271	02/07/2007	62
21	937	23/06/2005	63
22	512	12/05/2005	64
23	3647	30/04/2006	65
24	10063	11/09/1998	67
25	8093	25/07/1998	68
26	2822	27/04/1995	69
27	13293	05/10/1991	72

अनुकम्पा नियुक्ति योजना

राज्य सरकार की अनुकम्पा नियुक्ति योजना निम्नांकित शीर्षकों के अधीन सुलभ प्रयोग हेतु संकलित की जाती है:–

(1) अनुकम्पा योजना का उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में से एक योग्य आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान कर आश्रित परिवार को आर्थिक कठिनाईयों एवं तद्जनित विपत्तियों से संरक्षण प्रदान किया जाना है।

(2) प्रभावी होने की तिथि :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (10))

(i) इस परिपत्र (पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991) के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी है।

(ii) पूर्व में हुई मृत्यु के मामलों पर इस परिपत्र के प्रावधानों के आधार पर विचार/पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।

(3) प्रभाव क्षेत्र :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (11))

यह परिपत्र राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी लोक उपक्रमों, स्वशासी निकायों, प्राधिकारों, निगमों पर्षदों तथा राज्य सम्पोषित संस्थाओं पर भी पूर्णरूप से लागू।

(4) योजना किस पर प्रभावी है :–

(A) यह योजना सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य पर प्रभावी होगी।

(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (क))

(B) आश्रित परिवार के सदस्य का तात्पर्य है :–

(i) मृत सरकारी सेवक की पत्नी **(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (घ))**

नोट:– द्वितीय पत्नी एवं उससे उत्पन्न संतान के मामले में–

(पत्रांक–937 दि0–23.06.2005)

(a) यदि सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेकर द्वितीय विवाह किया गया हो तो वैसी परिस्थिति में अनुकम्पा आधारित नियुक्ति संबंधित ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–1 (घ) में दर्शायी गयी प्राथमिकता के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता हो सकेगी। यदि उपर्युक्त रूप में एक से अधिक विवाह वैध हो तो ऐसे सभी जीवित

पत्नियों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आश्रितों की श्रेणी में प्रथम स्थान होगा, किन्तु उसमें भी प्रथम पत्नी का हीं प्रथम स्थान होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति हेतु विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथ–पत्र दे। अन्य आश्रितों के नियुक्ति हेतु विचार उनके प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथ–पत्र के आधार पर हो सकेगी।

(पत्रांक–937 दि0–23.06.2005 का नियम (4))

(b) द्वितीय विवाह से जनित संतान को भी अनुकम्पा आधारित नियुक्ति के लाभ की अनुमान्यता होंगी बशर्ते ऐसे अनुकम्पा आवेदक द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की अन्य अर्हतायें पूरी की जा रही हों। ऐसी परिस्थिति में अनुकम्पा आधारित नियुक्ति संबंधी ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका (1)(घ) में दर्शायी गयी प्राथमिकता के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता हो सकेगी। परन्तु, ऐसी नियुक्ति के आधार पर द्वितीय विवाह को विधिसम्मत एवं वैध प्रभाव दिये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। यदि उपर्युक्त रूप में एक से अधिक विवाह वैध हो तो ऐसे सभी जीवित पत्नियों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आश्रितों की श्रणी में प्रथम स्थान होगा, किन्तु उसमें भी प्रथम पत्नी का हीं प्रथम स्थान होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति हेतु विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथ–पत्र दे। परन्तु ऐसी अनापत्ति एवं शपथ–पत्र की सत्यता की जाँच के बाद ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी। अन्य आश्रितों की नियुक्ति हेतु विचार उनकी प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथ–पत्र के आधार पर हो सकेगा। **(पत्रांक–11715 दि0–13.07.2022 का नियम (4))**

(ii) पुत्र **(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (घ))**

(iii) अविवाहित पुत्री **(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (घ))**

(iv) पुत्र की विधवा पत्नी **(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (घ))**

(v) मृत महिला सरकारी सेवक के पति (यदि पति किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हो) **(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (च)**

(vi) दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री **(केवल हिन्दू सरकारी सेवकों के मामले में)** (बशर्त्ते की एडॉप्सन हिन्दू एडॉप्सन एण्ड मेन्टेनेन्स एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुसार हुआ हो और उक्त एक्ट के अधीन ऐसा दावा विधिसम्मत हो) **(पत्रांक–512 दि0–12.05.2005)**

(vii) अविवाहित मृत सरकारी सेवक की विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित छोटी बहन (बशर्त्ते उसके माता–पिता एवं भाई–बहन उसी पर आश्रित हों) (पत्रांक–7146 दि0–31.10.2008)

(viii) तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री (बशर्त्ते तलाक/विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अतिरिक्त वह एक मात्र आश्रित हों)

(पत्रांक–1699 दि0–05.05.2010)

(ix) विवाहिता पुत्री (बशर्त्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनके पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो)

(पत्रांक–16973 दि0–10.12.2014)

(x) सधवा पुत्रवधू (बशर्त्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनके पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित शारीरिक/मानसिक रूप से सक्षम अथवा नियोजन के योग्य न हो) (पत्रांक–14157 दि0–09.11.2017)

नोटः–अनुकम्पा के आधार पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार उनके आश्रितों की नियुक्ति की जाएगी–

(a) मृत सरकारी सेवक की पत्नी
(b) पुत्र
(c) अविवाहित पुत्री
(d) पुत्र की विधवा पत्नी

(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम (2 घ))

(5) <u>अनुकम्पा योजना के अन्तर्गत आवेदक</u> :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (12))

इस परिपत्र में अंकित "आवेदक" शब्द जहाँ–जहाँ भी दिये गये हैं उनका अर्थ, यथा आवश्यक, "आवेदक" अथवा "आवेदिका" समझा जाय।

(6) <u>किनका चयन नहीं हो सकता :–</u>

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (2))

निम्नांकित कोटियों में से किसी भी कोटि में आने वाले व्यक्ति का आवेदन प्रारम्भिक तौर पर ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि खंड (ii) और (iii) के संबंध में कोई प्रतिकूल शपथ–पत्र नहीं दिया गया हो।

(i) यदि आवेदक के प्रस्तावित पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं हो।

(ii) यदि आवेदक को किसी संज्ञेय अपराधी के रूप में न्यूनतम 6 माह के कारावास कर दण्ड हुआ है।

(iii) यदि आवेदक पर ऐसा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन हो जिसमें उन्हें मृत्युदण्ड अथवा सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दिये जाने की सम्भावना हो, अथवा उक्त वाद के निस्तार होनें पर आवेदक को 6 माह अथवा उससे अधिक का दण्ड दिया जाय।

(7) <u>आवेदन समर्पित करने की समय–सीमा</u> :–

(पत्रांक–2822 दि0–27.04.1995 का नियम (6))

अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी।

(8) <u>नाबालिग होने की स्थिति में आवेदन की समय–सीमा</u> :–

(पत्रांक–11959 दि0–30.08.2019 का नियम (7))

नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनों जीवित नहीं हो, अथवा उसके जीवित माता या पिता के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।

(नोट :– यह प्रावधान पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी है)

(9) <u>लापता सरकारी सेवकों के मामले में अनुकम्पा आवेदन का समर्पण :–</u>

(पत्रांक–5014 दि0–16.04.2021 का नियम (5))

लापता सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा उसके लापता होने की तिथि से 07 वर्ष की समाप्ति अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे मृत घोषित किये जाने (जो भी बाद में हो) से अगले 05 वर्ष तक अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा।

(10) <u>भविष्य में शादी नहीं करने संबंधी शपथ–पत्र</u> :–

(पत्रांक–9101 दि0–25.07.2017 का नियम (3))

सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के विधुर पति/विधवा पत्नी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने अथवा नियुक्ति हेतु अनुशंसित होने पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ उनसे भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ–पत्र प्राप्त नहीं किया जाये।

(11) लापता सरकारी सेवकों के मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति :–

(पत्रांक–7146 दि0–31.10.2008)

(A) विचारण की शर्तें :–

(i) सरकारी सेवक के लापता होने के बाद अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुरोध पर विचार हो सकता है, बशर्ते कि :–

(a) पुलिस थाना में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया हो।

(b) लापता व्यक्ति का पता चल पाना कठिन हो।

(c) सक्षम प्राधिकार यह महसूस करें की मामला सत्य है।

(ii) यह लाभ ऐसे सरकारी सेवकों के मामले में अनुमान्य नहीं होगा :–

(a) जिसे लापता होने की तिथि से दो वर्षों के अंदर सेवानिवृत होना है, या

(b) जिस पर धोखाधड़ी करने का संदेह हो, या किसी आतंकवादी संगठन में शामिल होने का संदेह हो, या विदेश चले जाने का संदेह हो।

(iii) अन्य मामलों की तरह लापता सरकारी सेवक के मामले में भी अनुकम्पा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगा और यह रिक्तियों की उपलब्धता सहित, ऐसी नियुक्त के लिए निर्धारित सभी शर्त्तों के पूरा होने पर ही हो सकेगी।

(iv) ऐसे अनुरोध पर विचार करते समय पुलिस अनुसंधान के परिणामों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(B) लापता सरकारी सेवक का पुनः प्रकट हो जाना :– लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर लिये जाने के बाद लापता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति उनके आश्रित की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। परन्तु ऐसे आश्रित से उनके द्वारा कर्त्तव्य की अवधि के लिए भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जायेगी। लापता सरकारी सेवक के प्रकट होने एवं योगदान देने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनका योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें निलंबित कर उनके विरूद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के आलोक में अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही चलाकर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

(12) आश्रितों का स्व–घोषणा पत्र :–

आश्रितों में से एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने हेतु अन्य आश्रितों से उसके पक्ष में स्व–घोषित/स्व–प्रमाणित–पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

(पत्रांक–1342 दि0–06.02.2017 का नियम (3))

(13) अनुकम्पा नियुक्ति के समय आवेदक का घोषणा–पत्र :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (7) (ग))

नियुक्ति पत्र निर्गत करने के समय साधारण नियुक्ति में आवेदक से जो घोषणा–पत्र लिये जाते हैं, यथा–दहेज नहीं लेना एवं नहीं देना, आदि वे सभी घोषणा–पत्र अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में भी आवेदक से लिये जायेंगे।

(14) अनुकम्पा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातः–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (04))

(i) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेत आवेदन विहित प्रपत्र मे जिसका नमूना अनुलग्नक–1 में उपलब्ध है।

(ii) आवेदन पत्र के खण्ड–2 में उल्लेखित सभी बिन्दुओं पर अनुशंसा पदाधिकारी की अनुशंसा (नमूना अनुलग्नक–1 में)।

(iii) मृत्यु प्रमाण–पत्र।

(iv) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र

(v) आयु संबंधी प्रमाण–पत्र।

(vi) जाति प्रमाण–पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए।

नोटः– उपरोक्त (iii) से (iv) तक के सभी कागजातों की मूल प्रतियाँ एवं एक–एक फोटो स्टेट प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जहाँ पर मृत सरकारी सेवक अंतिम समय में कार्यरत थे, उस कार्यालय के प्रधान को अनुशंसा पदाधिकारी कहा जायेगा। वे ही अनुलग्नक–1 (खंड–2) में विहित के क्रमांक–7 को हस्ताक्षरित करेंगे।

(vii) आश्रितों का स्व–घोषणा पत्र :–

आश्रितों में से एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने हेतु अन्य आश्रितों से स्व–घोषित/स्व–प्रमाणित पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। [1]

प्रपत्र–I

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित आवेदक–आवेदिका के पक्ष में मृत सरकारी कर्मी के अन्य आश्रित द्वारा समर्पित स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र प्रारूप

(i) स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र समर्पित करने वाले का नाम का तथा मृत सरकारी कर्मी से संबंधः–

(ii) स्थायी तथा पत्राचार का पताः–

(iii) मृत सरकारी कर्मी का नामः–

(iv) मृत्यु की तिथिः–

(v) मृत्यु के समय पदस्थापित विभाग/कार्यालय का नामः–

(vi) आवेदक/आवेदिका का नामः–

(vii) मैं स्वेच्छा से यह स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं सेवाकाल में मृत उपर्युक्त सरकारी कर्मी के आश्रितों में से एक हूँ। अनुकम्पा समिति द्वारा यदि आवेदक/आवेदिका श्री/सुश्री/श्रीमती .... की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। मुझे विश्वास है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के उपरान्त उनके द्वारा सभी आश्रितों का भरण–पोषण एवं देखभाल किया जायेगा।

नामः–

तिथिः–

प्रपत्र–II

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों द्वारा नियोजन के संबंध में स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र प्रारूप

मैं .... इस स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र के माध्यम से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी स्व0 .... के आश्रितों में से एक हूँ। मैं किसी सरकारी सेवा अथवा गैर–सरकारी सेवा में नियमित रूप से नियोजित नहीं हूँ। अतः मेरी आय इतनी नहीं है कि मैं मृत सरकारी कर्मी के सभी आश्रितों का भरण–पोषण कर सकूँ। अन्य आश्रित भी किसी सरकारी/गैर–सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं। अतः आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने पर विचार किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना गलत प्रमाणित होती है तो, मुझे नियमानुसार दण्डित किया जा सकता हैं तथा आवेदक/आवेदिका को अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ से वंचित किया जा सकता है।

नामः–

स्थायी तथा पत्राचार का पताः–

तिथिः–

(15) <u>आवेदन का समर्पण</u> :– **(पत्रांक–2822 दि0–27.04.1995 का नियम (5))**

(i) मृत सरकारी सेवक के आश्रित आवेदन उसी विभाग में देंगे जहाँ अंतिम रूप से पदस्थापित थे।

(ii) उक्त विभाग आवेदन को भली–भाँती प्रारम्भिक जाँच कर अनुकम्पा नियोजन हेतु गठित संबंधित समिति के नोडल पदाधिकारी को आवेदन अग्रसारित करेंगे।

(16) अनुकम्पा योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजे जाने हेतु जाँच–पत्र :–

(पत्रांक–4188 दि0–25.10.2010)

प्ररिप्रेक्ष्य में एक जाँच–पत्र विहित की गयी है, ताकि संबंधित विभाग के स्तर पर ही समुचित जाँच हो सके (जाँच–पत्र की प्रति संलग्न है– अनुलग्नक–2)। अनुरोध है कि अब से केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के विचारार्थ भेजे जाने वाले मामलों के साथ उक्त विहित जाँच–पत्र भी समुचित एवं पूर्ण रूप से भरकर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

(17) अनुकम्पा आवेदन हेतु अधिकतम उम्र की क्षान्ति :–

(पत्रांक–8093 दि0–25.07.1998 का नियम (3))

बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के परिशिष्ट–1 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त करने के लिए विभागाध्यक्ष/विभाग को विशेष परिस्थिति में जो प्रावधान है, उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में भी लागू समझा जाय, बशर्त्ते कि आवेदन समय–सीमा के अंतर्गत दिया गया हो।

(18) मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी के पेंशनर होने की स्थिति में :–

मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के पेंशनर होने की स्थिति में भी उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देय होगा, यदि उक्त आश्रित के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की अन्य अर्हतायें पूरी की जाती हों।

(पत्रांक–13573 दि0–18.11.2021 का नियम (4))

(19) महादलित सरकारी सेवक के आश्रितों को अर्हता में सशर्त्त छूट :–

(पत्रांक–10073 दि0–18.12.2008 का नियम (3))

मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (अष्टम वर्ग उत्तीर्ण) नहीं रहने पर भी इस शर्त्त के साथ औपबंधित रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। साक्षरता से आशय है पढ़ने–लिखने का ज्ञान ताकि वे अपना हस्ताक्षर कर सकें और संचिकाओं का विषय पढ़ सकें। साक्षरता प्राप्त करने की उनके द्वारा सूचना दिये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी स्वयं या प्राधिकृत पदाधिकारी से साक्षरता प्राप्त करने की जाँच कराकर संतुष्ट हो लेंगे। यदि निर्धारित समय–सीमा के अन्दर वे साक्षरता प्राप्त करने की सूचना नहीं देते हैं तो उनकी सेवा निर्धारित समय–सीमा पूरा होने पर स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(20) आश्रित के Gainfully नियोजित रहने के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति :–

(पत्रांक–15763 दि0–19.11.2014)

(i) सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–6668/2003 एवं 7044/2003 में पारित समेकित आदेश दिनांक–27.07.2004 के आलोक में सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के **Gainfully** नियोजित होने की स्थिति में उसके अन्य आश्रितों के साथ रहने अन्यथा नहीं रहने के बावजूद अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है। **Gainfully** नियोजित रहने से तात्पर्य ऐसे नियोजन से है जिससे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों का भरण–पोषण हो सके।

(ii) यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और किसी एक की मृत्यु हो जाय तो वैसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को नहीं मिलेगा। **(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (ड.))**

(21) अनुकम्पा आवेदन पर विचारण/अनुशंसा हेतु समितियाँ :–

(पत्रांक–2822 दि0–27.04.1995 का नियम (3))

(i) माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 3974/1192, 12268/1992 एवं 12453/1993 में समेकित आदेश के द्वारा यह निर्देश दिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी बनायी जाय, जिसमें कि आवेदकों को मृत्यु की तिथि के प्राथमिकता के अनुसार किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति मिल सके।

(ii) उपर उल्लेखित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नांकित निदेश दिया है :–

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर विचार सचिवालय स्तर पर गठित एक समिति के द्वारा की जाय।

(ख) जिला स्तर पर कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में विचार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा हो।

(ग) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के मृत सरकारी सेवक के आश्रित उसी कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे जहाँ सरकारी सेवक मृत्यु के समय पदस्थापित थे। यही प्रक्रिया जिला स्तर के मामले में भी लागू होगा।

(घ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग नोडल विभाग सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मामले में होगा। इस स्तर पर गठित समिति अंकित रूप से सभी प्राप्त आवेदकों की सूची मृत्यु की तिथि के आधार पर वरीयतानुसार तैयार करेगी। तत्पश्चात् रिक्ति के अनुसार इस सूची से संबंधित विभागों को नियुक्ति के लिये आवेदक का नाम वरीयतानुसार यह समिति अग्रसारित करेगी। यही प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति के द्वारा भी अपनायी जायेगी।

(ङ.) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की जो समय–सीमा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक–05.10.1991 के परिपत्र से समाप्त कर दी गयी थी, उसके स्थान पर आवेदन देने के लिये अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अन्य आवेदकों के दावे को देखते हुए आवेदन देने की एक समय–सीमा राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

(च) माननीय न्यायालय ने विभिन्न स्तरों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनेल की तैयारी हेतु भी मार्गदर्शन दिया है और यह निदेश दिया है कि राज्य सरकार इसके आधार वर्त्तमान परिपत्र को संशोधित कर परिपत्र आदेश के तीन माह के अन्दर निर्गत करे। अनुकम्पा के आधार पर सभी नियुक्तियाँ संशोधित परिपत्र के निर्गत होने के पश्चात् ही होगी और इसके विपरीत कोई भी नियुक्ति होती है तो न्यायालय की अवमानना समझी जायेगी।

(iii) माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों पर भली भांति विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर निर्गत परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 में निम्नांकित आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है:–

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को नोडेल विभाग घोषित किया जाता है। आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुकम्पा समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1– आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्र0सु0विभाग।	अध्यक्ष।
2– वित्त आयुक्त के द्वारा मनोनीत पदाधिकारी।	सदस्य।
3– सचिव, जल संसाधन विभाग।	सदस्य।
4– सचिव, पथ निर्माण विभाग।	सदस्य।
5– जिस विभाग का मामला हो उस विभाग के सचिव।	विशेष आमंत्रित सदस्य।
6– अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3) कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग।	सदस्य–सचिव।

(ख) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति के द्वारा जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के अर्हता प्राप्त आश्रितों की नियुक्ति हेतु मृत्यु की तिथि के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की ही वरीयता सूची तैयार की जायेगी। रिक्ति के अनुसार संबंधित कार्यालयों को यह समिति नियुक्ति हेतु नाम अग्रसारित करेंगे।

(iv) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधित विभागों के नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी।

(v) मृत सरकारी सेवक के आश्रित आवेदन उसी विभाग में देंगे जहाँ सरकारी सेवक अंतिम रूप से पदस्थापित थे। उक्त विभाग आवेदन को भली भाँति प्रारम्भिक जाँच कर ऊपर गठित संबंधित समिति के नोडेल पदाधिकारी को आवेदन अग्रसारित करेंगे।

(22) <u>केन्द्रीय अनुकम्पा समिति का विचारण क्षेत्र</u> :–

(पत्रांक–10063 दि0–11.09.1998 का नियम (3))

मात्र सचिवालय एवं सचिवालय के संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के मामले हीं केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के विचारार्थ विभागीय सचिव की स्पष्ट अनुशंसा के साथ संचिका के माध्यम से भेजी जाय।

(23) <u>अनुकम्पा समितियों की नियमित बैठक</u> :– **(पत्रांक–5958 दि0–25.04.2012)**

केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति की बैठक अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध रहने पर प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जायेगी।

(24) <u>अनुकम्पा योजना के क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा</u> :–

(पत्रांक–5958 दि0–25.04.2012)

(i) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में सभी कागजात/प्रमाण–पत्रों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर उसे केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति के विचारार्थ रखे जाने हेतु दो माह की समय–सीमा निर्धारित की जाती है।

(ii) अनुकम्पा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त अनुशंसित उम्मीदवारों के प्रमाण–पत्रों की जाँच सहित अन्य औपचारिकताएँ पूरी कर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु अधिकतम एक वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। उक्त समय–सीमा के अन्दर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकने की स्थिति में लिखित रूप से कारणों का उल्लेख करते हुए प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर संबंधित अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा सकेगी।

(25) <u>आरक्षण नीति संबंधी निर्देश</u> :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (06))

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अगर रिक्ति आरक्षित बिन्दु पर हो तो आरक्षित बिन्दु को अग्रणीत करते हुए आवेदक को नियुक्त कर लिया जायेगा।

(26) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार :–

(i) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा जिला स्तर पर गठित समिति (केन्द्रीय अनुकम्पा समिति तथा जिला अनुकम्पा समिति) की अनुशंसा के अनुसार ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधित विभागों के नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। **(पत्रांक–2822 दि0–27.04.1995 का नियम (4))**

(ii) किसी भी स्थिति में नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति पत्र हस्ताक्षरित किये जाने की शक्ति अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकेंगे।

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (7)(ख))

(27) नियुक्ति पत्र का निर्गत किया जाना :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (07))

(i) जिस व्यक्ति को नियुक्ति अनुकम्पा के आधार की जायेगी उसके नियुक्ति पत्र में निम्नांकित रूप से अभिलिखित की जायेगी:–

(ii) नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण का पूर्णतः उत्तरायित्व होगा। नियुक्ति के समय नियुक्ति/पदाधिकारी/कर्मचारी से निम्नलिखित घोषणा पत्र लिया जायेगा:

घोषणा–पत्र

मैं .... पिता का नाम.................................. पदनाम.................................... पता.............................. (जिसने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है) घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण–पोषण करूँगी/करूँगा। मैं इस बात की भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझ इस बात की जानकारी है कि मृतक के आश्रित परिवार की देखमाल में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा मेरी सेवा बगैर सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

दो निष्पक्ष गवाहों का हस्ताक्षर:–

हस्ताक्षर–	हस्ताक्षर–
नाम एवं पता–	नाम एवं पता–
तिथि–	तिथि–

(28) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुमान्य पद :–

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण आश्रितों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा ग्रेड पे 1800/– के लिए की जाएगी और मैट्रिक से उच्चतर योग्यताधारी आश्रितों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा ग्रेड पे 1900/– के लिए की जाएगी। मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा मृत सरकारी सेवक के पैतृक विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त किया जाएगा। अगर अनुशंसा ग्रेड पे 1900/– के पद समूह के लिए है तथा पैतृक विभाग में ग्रेड पे 1900/– का पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ग्रेड पे 1800/– में नियुक्ति की जाएगी। पैतृक विभाग में ग्रेड पे 1900/– एवं ग्रेड पे 1800/– में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत परिपत्र सं0–2271 दिनांक–02.07.2007 में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्य विभागों में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति करने का अनुरोध पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा उक्त रिक्ति के विरूद्ध मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी।

(पत्रांक–5958 दि0–25.04.2012)

(ii) अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखकर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले ग्रेड पे 1800 (मैट्रिक उत्तीर्ण), ग्रेड पे 1900 एवं ग्रेड पे 2000 (मैट्रिक उच्चतर योग्यताधारी) के पद पर की जा सकेगी। अनुशंसा के अनुरूप पैतृक विभाग में (जहाँ मृत्यु के समय सरकारी सेवक पदस्थापित रहें हो) ग्रेड पे 2000 का पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ग्रेड पे 1900 के पद पर तथा ग्रेड पे 1900 का पद उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ग्रेड पे 1800 के पदों पर उक्त पद हेतु विहित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की जायेगी।

(पत्रांक–11462 दि0–24.08.2016 का नियम (3))

(iii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा/नियुक्ति के पूर्व लिखित जाँच परीक्षा एवं टाईपिंग टेस्ट लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

(पत्रांक–8082 दि0–05.06.2015)

(iv) अनुकम्पा समितियों द्वारा सिपाही अथवा किसी पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जानी है तथा अनुशंसा/नियुक्ति के पूर्व कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान क्षमता की जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(पत्रांक–7722 दि0–27.05.2012)

(29) <u>नियुक्ति संबंधी विशेष निर्देश</u> :– (पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (9)(क))

(i) अनुकम्पा के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति होने पर पुनः उसे अनुकम्पा का दोबारा लाभ देते हुये उसकी प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(ii) इस परिपत्र का कोई लाभ अबतक नियुक्त हो चुके किसी व्यक्ति की संवर्ग/पद परिवर्तन हेतु अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नियमित नियुक्ति मानी जायेगी। नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्त व्यक्ति को उसकी नियुक्ति के संवर्ग में अन्य सरकारी सेवकों की भाँति नियम के अनुसार पूर्व निर्धारित अवधि के लिये परीक्ष्यमान के तौर पर रखेंगे। तत्पश्चात् उस पर, उसकी संपुष्टि हेतु उक्त विभाग/सवंर्ग के नियम ही पूर्णतः लागू होंगे।

(iv) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए जो नियम उपबन्ध निर्धारित किये गये है, उनको शिथिल करने अथवा उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण निर्गत करने की शक्ति केवल कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में निहित होगी।

(v) अनुकम्पा के आधार पर किसी विधवा की नियुक्ति होती है। तो पुनः शादी होने के बाद भी वह सेवा में रहेगी, बशर्त्ते कि मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण–पोषण के दायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक करती हो।

(30) <u>विभाग/कार्यालयों में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने पर</u> :–

(पत्रांक–2271 दि0–02.07.2007)

जिन विभागों/कार्यालयों में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं है, उन विभागों/कार्यालयों के मृत कर्मी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अन्य विभाग/कार्यालय, जहाँ रिक्तियाँ हैं, को अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा प्राप्त होने पर आवेदक आश्रित की योग्यतानुसार नियुक्ति वांछनीय होगी, बशर्त्ते कि रिक्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचित नहीं हों। अधियाचित रिक्तियों से भिन्न रिक्तियाँ उपलब्ध रहने के बावजूद नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई करने में टालमटोल करने वाले नियोक्ता/सक्षम पदाधिकारी के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(31) कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति :–

(पत्रांक–3647 दि0–30.04.2005 का नियम (4))

कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के लिए सेवाकाल में मृत्यु होने पर अन्य राज्य कर्मियों की तरह उनके आश्रितों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा।

(32) अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुशंसित मामलों में पुनर्विचार :–
केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अभ्यर्थी की जिस वर्ग/पद समूह के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी, नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उसी अनुशंसित वर्ग/पद समूह में नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अगर नियुक्ति प्राधिकार को अनुशंसित वर्ग/पद समूह में नियुक्ति की कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कठिनाई है, तो उनके द्वारा मामले को सभी तथ्यों के साथ केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति को भेजते हुए दुबारा विचार करने का अनुरोध किया जा सकेगा। लेकिन केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा दुबारा विचार करने के बाद अनुशंसित वर्ग/पद समूह पर नियुक्ति किया जाना नियुक्ति प्राधिकार के लिए अनिवार्य होगा। समिति की अनुशंसा के प्रतिकूल नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सामान्यतः निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

(पत्रांक–5958 दि0–25.04.2012)

(33) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान :–

(i) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी। परंतु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत, प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को उस कैलेन्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।

(ii) यदि किसी प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन किसी लिपिकीय सेवा/संवर्ग की नियमावली में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी उपर्युक्त उप कंडिका–(i) से भिन्न कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कर लेगें।

(iii) संबंधित नियमावली में उपर्युक्त उप कंडिका–(i) के अनुरूप संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रावधान में संशोधन इस संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक सबंधित नियमावलियों में ऐसा संशोधन नहीं हो जाता है तबतक के लिए उपर्युक्त उप कंडिका–(i) का प्रावधान ही लागू समझा जाएगा। **(पत्रांक–7095 दि0–15.07.2021 का नियम (2))**

(34) अनुकम्पा नियुक्ति की समाप्ति :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (07)(क)(ii-iii))

(i) अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्त पदाधिकारी द्वारा कारण–पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ii) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी के नौकरीधारी को बाद में किसी भी समय, एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए, बर्खास्त किया जा सकेगा।

अनुलग्नक – 1

सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सरकारी सेवा में नियोजन संबंधी अनुशंसा के प्रपत्र

खण्ड – 1

(क) मृत सरकारी सेवक का नाम–
(ख) उनका पदनाम, वेतनमान, प्राप्त वेतन
तथा स्थापना जहाँ मृत्यु के पहले सेवारत थे –
(ग) मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु का कारण –
(घ) प्रदत्त सेवा की कुल अवधि –
(ड़) स्थायी थे या अस्थायी –

2. (क) सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का मृत नाम–
(ख) उनका मृत सरकार सेवक से संबंध –
(ग) मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु का कारण –
(घ) शैक्षणिक योग्यता –
(ङ) क्या मृत सरकारी सेवक के कोई अन्य आश्रित की नियुक्ति
अनुकम्पा के आधार पर पहले हुई है, यदि हाँ तो पूर्ण ब्योरा दें। –
(च) विवाहित अथवा अविवाहित –
(छ) विवाह की तिथि (तिथि स्मरण न हो तो माह एवं वर्ष)–
(ज) यदि विवाहित हैं तो क्या विवाह में दहेज का लेन–देन
हुआ था अथवा उसका आश्वासन हुआ था –

3. मृत सरकारी सेवक की कुल सम्पति का विवरण निम्नांकित मदों की राशि सहित –

(क) पारिवारिक पेंशन –
(ख) डी०सी०आर० ग्रेच्युटी –
(ग) सामान्य भविष्य निधी में जमा राशि –
(घ) जीवन बीमा पालिसी –
(ङ) चल एवं अचल सम्पति एवं उनके परिवार की वार्षिक आय –

4. देन पावना के संबंध में संक्षिप्त विवरण (यदि हो तो)।

5. मृत सरकारी सेवक के कोई अन्य आश्रितों का पूर्ण विवरण –
(यदि किन्हीं को पहले से नियोजन प्राप्त है तो उनका विवरण एवं उनकी आय)।

क्रम सख्या एवं पदनाम	मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध साथ संबंध एवं आयु।	सेवारत हैं या नहीं, सेवा का पूर्ण विवरण एवं कुल उपलब्धियाँ।
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

6. आवेदक का पूरा स्थायी पता –

7. आवेदक का पूरा वर्तमान पता –

8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई मुकदमा चल रहा है, अथवा किसी मुकदमें में उसे सजा हुई है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें–

घोषणा–पत्र

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उर्पयुक्त तथ्य पूर्णतः सही हैं। यदि उर्पयुक्त कोई भी तथ्य भविष्य में गलत या झूठा पाया जायगा, तो मेरी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त मेरे विरुद्ध ऐसी कार्रवाई भी की जा सकेगी, जो उचित और उपेक्षित हो।

दो निष्पक्ष गवाह का हस्ताक्षर, नाम एवं पता

(1) ....

(2) ....

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर एवं तारीख)

पूरा पता :–

खण्ड–2

1. (क) नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम–
   (ख) मृत सरकारी सेवक से उसका संबंध–
   (ग) शैक्षणिक योग्यता, उम्र (जन्म तिथि) एवं अनुभव यदि हो तो–
   (घ) पद जिस पर नियुक्ति के लिये प्रस्ताव किया जा रहा है–
   (ङ) क्या प्रस्तावित पद पर सीधी नियुक्ति दी जा सकती है?–
   (च) क्या उम्मीदवार पद के लिये विहित अर्हता (उम्र संबंधी अर्हता सहित) धारण करता है–
   (छ) नियोजनालय की प्रक्रिया के शिथिलीकरण करने के अलावे क्या अन्य कोई शिथिलीकरण भी अपेक्षित है?–
2. क्या खण्ड–1 में उल्लिखित तथ्यों की कार्यालय/विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच कर ली गई है?–
3. क्या मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति, नियुक्ति की विहित प्रक्रिया का तथा आरक्षण नीति का अनुपालन करते हुए रोस्टर बिन्दु के अनुसार की गई थी?–
4. क्या आवेदक विवाहित हैं? यदि हाँ तो विवाह के समय उनकी उम्र क्या थी?–
5. क्या आवेदक की दो पत्नियाँ/पति जीवित है?–
6. क्या आवेदक ने विवाह में दहेज लेने/देने का कार्य किया था अथवा उसका आश्वासन लिया/दिया था?–
7. मृत सरकारी सेवक जहाँ अंतिम समय में कार्यरत थे, के कार्यालय प्रधान का पूर्ण हस्ताक्षर, तिथि एवं कार्यालय की मुहर–
8. नियंत्रण पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष (यदि वे कार्यालय–प्रधान से वरीय पदाधिकारी हों) की अनुशंसाएँ–

अनुलग्नक – 2

जाँच–प्रपत्र (चेक स्लिप)

स्व0..के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/सुश्री/श्रीमती .... की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

1	सरकारी सेवक का नाम/पदनाम (वेतनमान सहित)	....
2	पदस्थापन का विभाग/कार्यालय	....
3	नियुक्ति नियमित पद पर विधिवत तथा आरक्षण रोस्टर के अनुसार हुई थी या नहीं	....
4	प्रदत्त सेवा की कुल अवधि	....
5	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	....
6	मृत्यु की तिथि	....
7	आश्रितों की सूची पूर्णतः अंकित है या नहीं	....
8	आवेदक का नाम	....
9	मृतक सरकारी सेवक से संबंध	....
10	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	....
11	आवेदक की जन्म तिथि	....
12	आय प्रमाण–पत्र	....
13	जाति प्रमाण–पत्र	....
14	समूह 'ग' एवं 'घ' में रिक्तियों की सूचना	....
15	आवेदन पत्र खंड–2 की कंडिका 7 एवं 8 में सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं	....
16	विधवा पत्नी का अनापत्ति संबंधी शपथ–पत्र (मूल प्रति में) है या नहीं	....
17	अन्य आश्रितों का अनापत्ति संबंधी शपथ–पत्र (मूल प्रति में) है या नहीं	....
18	यदि कोई आवेदक प्रथम संतान न होकर अन्य संतान है तो ज्येष्ठ संतान का अनियोजन प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं	....
19	आश्रितों में से कोई सरकारी सेवा में या अन्यत्र नियोजित है या नहीं (पूर्ण विवरण दें)	....
20	आवेदन पत्र के दोनों खण्डों की सभी कंडिकाओं पर पूर्ण सूचना अंकित है या नहीं	....
21	आवेदन करने की तिथि	....
22	आवेदन समय सीमा के अन्दर है या नहीं	
23	आवेदक न्यूनतम एवं अधिकतम आयु–सीमा के अन्दर है या नहीं	....
24	प्रमाणित किया जाता है कि मृत सरकारी सचिवालय/संलग्न कार्यालय में नियुक्त होकर कार्यरत थे।	....

संयुक्त सचिव से अन्यून
पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुकम्पा नियुक्ति योजना से संबंधित बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्रम सं0	अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रश्न	उत्तर
1	किस परिपत्र के तहत संप्रति अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों को विनियमित किया जाता है?	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा विनियमित की गयी है।
2	अनुकंपा नियुक्ति की योजना का उद्देश्य क्या है?	सरकारी सेवक के मृत्युपरांत उसके एक आश्रित को बिना विलंब के समूह 'ग' के कतिपय पदों पर योग्यतानुसार नियुक्त कर पीड़ित परिवार को राहत पहुँचाना हीं अनुकंपा नियुक्ति की योजना का उद्देश्य है।
3	क्या संविदा नियोजित कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति योजना का लाभ मिल सकता है?	नहीं। अनुकंपा नियुक्ति का लाभ स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत नियुक्त 'सरकारी सेवक' के आश्रित को हीं देय है।
4	अनुकंपा नियुक्ति हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा क्या है?	अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बिहार सेवासंहिता के नियम–54 के परिशिष्ट–I के तहत अधिकतम उम्र सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है।
5	क्या किसी पद विशेष के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा, अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में शिथिल की जा सकती है?	हाँ। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम–54 के परिशिष्ट–I के तहत अधिकतम उम्र सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है।
6	क्या किसी पद विशेष के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ शिथिल की जा सकती है?	नहीं।
7	अनुकंपा नियुक्ति मामलों में उम्र की गणना करने के लिए निर्धारित तिथि कौन सी होगी?	आवेदक के आवेदन समर्पण की तिथि को अनुकंपा आवेदक की उम्र की गणना की जाती है।

8	किस परिपत्र अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित उच्चतम उम्र सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है?	अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित उच्चतम उम्र सीमा में छूट के लिए सरकारी विभागों में विभागाध्यक्ष तथा आयुक्त कार्यालय या उसके अधीन जिला कार्यालयों के संबंध में संबंधित प्रमंडलों के आयुक्त सक्षम प्राधिकार है।
9	अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ निर्धारित मृतक के आश्रितों की सूची में परिवार के कौन से सदस्य शामिल है?	अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ निर्धारित मृतक के आश्रितों की सूची निम्नवत् है– • मृत सरकारी सेवक की **पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री** एवं **पुत्र की विधवा पत्नी** • **दत्तक पुत्र** एवं **दत्तक अविवाहित पुत्री** • **तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री** • सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों के होने की स्थिति में **विवाहिता पुत्री** (बशर्त्ते कि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो) • मृत सरकारी सेवक की **सधवा पुत्रवधू** (बशर्त्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित शारीरिक/मानसिक रूप से सक्षम अथवा नियोजन के योग्य न हो) • अविवाहित मृत सरकारी सेवक की **विधवा माँ, छोटा भाई** एवं **अविवाहित छोटी बहन** • **मृत महिला सरकारी सेवक के पति**
10	क्या विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है?	हाँ। सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों के होने की स्थिति में **विवाहिता पुत्री** को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देय है (बशर्त्ते कि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो)
11	क्या विवाहित भाई को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है?	हाँ। अविवाहित मृत सरकारी सेवक के विवाहित/अविवाहित **छोटे भाई** को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देय है।

12	क्या अनुकंपा पर नियुक्ति प्राप्त विधवा को शादी के बाद सेवा में बनाए रखने दिया जा सकता है?	हाँ।
13	क्या लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है?	लापता सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा उसके लापता होने की तिथि से 07 वर्ष की समाप्ति अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे मृत घोषित किये जाने, जो भी बाद में हो, से अगले 05 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा।
14	मृत सरकारी सेवक का कोई आश्रित यदि नियोजन में हो तो ऐसे मामलें में क्या परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है?	नहीं। मृत सरकारी सेवक का कोई आश्रित यदि सरकारी या गैर सरकारी सेवा में हो तो ऐसे मामले में आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देय नहीं है।
15	मृत सरकारी सेवक का कोई आश्रिता यदि नियोजन में हो किन्तु परिवार से अलग रहता है तो ऐसे मामले में क्या परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है?	नहीं। सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के **Gainfully** नियोजित होने की स्थिति में उसके अन्य आश्रितों के साथ नहीं रहने के बावजूद अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है।
16	अनुकंपा नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु सक्षम प्राधिकार कौन है?	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के स्तर पर केन्द्रीय अनुकंपा समिति तथा जिला स्तर पर जिला अनुकंपा समिति अनुकंपा नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए सक्षम प्राधिकार है।
17	किन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है?	अनुकंपा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रख कर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले ग्रेड पे ₹1800 **(संशोधित वेतनमान का वेतन स्तर–01 – मैट्रिक उत्तीर्ण)**, ग्रेड पे ₹1900 एवं ग्रेड पे ₹2000 **(संशोधित वेतनमान का वेतन स्तर–02 एवं 03 मैट्रिक से उच्चत्तर योग्यताधारी)** के पद पर की जा सकेगी।
18	क्या समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है?	नहीं।
19	क्या भविष्य की रिक्तियों के विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है?	नहीं।

20	क्या उच्चतर योग्यता धारी आश्रित को समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है?	नहीं।
21	क्या अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा?	नहीं। रिक्ति यदि आरक्षित बिन्दु पर हो तो आरक्षित बिन्दु को अग्रणीत करते हुए आवेदक को नियुक्त कर लिया जाएगा।
22	क्या अनुकंपा नियुक्त आश्रित पर मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों की देखभाल का दायित्व होगा?	हाँ। यदि अनुकंपा नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
23	क्या अनुकंपा पर नियुक्त कर दिए गये आश्रित को किसी अन्य पद के विरूद्ध अनुकंपा पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है?	नहीं।
24	मृत सरकारी सेवक के आश्रितों द्वारा अनुकंपा का आवेदन कहाँ समर्पित किया जाएगा?	मृत सरकारी सेवक के आश्रितों द्वारा अनुकंपा का आवेदन उसी विभाग/कार्यालय में दिया जायेगा जहाँ सरकारी सेवक मृत्यु पूर्व पदस्थापित थे।
25	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय सीमा क्या होगी?	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय सीमा मृत्यु की तिथि से अधिकतम 05 वर्ष तक है।
26	अनुकंपा नियुक्ति हेतु गठित केन्द्रीय अनुकंपा समिति के समक्ष विचारार्थ कौन से मामले रखे जाएंगे?	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामले केन्द्रीय अनुकंपा समिति के समक्ष विचार के लिए रखे जायेगें।
27	अनुकंपा नियुक्ति हेतु गठित जिला अनुकंपा समिति के समक्ष विचारार्थ कौन से मामले रखे जाएंगे?	जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामले जिला अनुकंपा समिति के समक्ष विचार के लिए रखे जायेगें।
28	क्या द्वितीय पत्नी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा का लाभ देय होगा?	हाँ। द्वितीय पत्नी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा का लाभ देय है बशर्त्ते की पहली पत्नी और उनके पुत्र एवं पुत्री को किसी प्रकार की आपत्ति ना हो।
29	अनुकंपा समिति के बैठक की आवृत्ति क्या होगी?	यदि आवेदन प्राप्त हो तो तीन माह में एक बार ।

37	क्या महादलित सरकारी सेवक के आश्रितों को अर्हता सशर्त्त छूट दी गयी है?	हाँ।
38	क्या कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देय है?	हाँ।
39	लापता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?	अनुकम्पा पर नियुक्त उसके आश्रित की सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
40	अनुकंपा आवेदन प्राप्त होने पर उसे केंद्रीय/जिला अनुकंपा समिति के विचारार्थ रखे जाने हेतु समय सीमा क्या है?	दो माह।
41	अनुकंपा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु समय सीमा क्या है?	अधिकतम एक वर्ष।
42	अनुकंपा नियुक्ति हेतु रिक्ति उपलब्ध नहीं हो तो विभाग/कार्यालय क्या कार्रवाई करेंगे?	ऐसे में अन्य विभाग/कार्यालय जहाँ रिक्तियाँ है, को अनुशंसा प्राप्त होने पर आवेदक आश्रित की योग्यतानुसार नियुक्ति वांछनीय होगी। बशर्त्ते रिक्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचित न हो।
43	लापता सरकारी सेवकों के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के विचारण की शर्त्तें क्या है?	ऐसे मामलों में विचारण की शर्त्तें निम्नवत् है– (i) पुलिस थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज हो। (ii) लापता व्यक्ति का पता चल पाना कठिन हो। (iii) सक्षम प्राधिकार यह महसूस करे कि मामला सत्य है।
44	किन मामलों में लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा लाभ अनुमान्य होगा?	लापता होने की तिथि से दो वर्षों के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले, धोखाधड़ी, विदेश जाने अथवा आतंकवादी संगठन में शामिल होने के संदेह वाले सरकारी सेवकों के मामले में अनुकंपा नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।
45	यदि मृत सरकारी सेवक की पत्नी जीवित न हो तो संतान के रूप में मात्र विवाहित पुत्री रहने पर क्या विवाहित पुत्री को अनुकंपा का लाभ देय होगा?	पुत्री यदि विवाहित है और उसके माता पिता जीवित नहीं हैं तो उसे अनुकंपा का लाभ देय नहीं है।
46	मृत सरकारी सेवक के आश्रितों में से किसी एक आश्रित द्वारा अनुकंपा आवेदक आश्रित के पक्ष में अनापत्ति शपथ पत्र देने से इंकार करने पर क्या अनुकंपा नियुक्ति संभव है?	नहीं। अनुकंपा आवेदक आश्रित के पक्ष में सभी अन्य आश्रितों का शपथ पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

30	अनुकंपा नियुक्ति का जाँच–पत्र किस स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा?	संयुक्त सचिव से अन्यून ।
31	मैट्रिक उत्तीर्ण अनुकंपा आवेदक की नियुक्ति किस ग्रेड पे पर की जाएगी?	अनुकंपा नियुक्ति में समूह 'ग' के कतिपय पदों पर योग्यतानुसार नियुक्ति की जाती है। ग्रेड पे 1800/– (संशोधित वेतन स्तर–01)
32	इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अनुकंपा आवेदक की नियुक्ति किस ग्रेड पे पर की जाएगी?	अनुकंपा नियुक्ति में समूह 'ग' के कतिपय पदों पर योग्यतानुसार नियुक्ति की जाती है। ग्रेड पे 1900/– (संशोधित वेतन स्तर–02)
33	अनुकंपा नियुक्ति मामले में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय सीमा में संशोधन संबंधी परिपत्र किस तिथि से प्रभावी है?	पत्र निर्गत तिथि 30.08.2019 से।
34	मृत सरकारी सेवक के पति अथवा पत्नी के पेंशनर होने की स्थिति में क्या उसके आश्रित को अनुकंपा का लाभ देय होगा?	हाँ। (बशर्त्ते की मृत सरकारी सेवक के पति अथवा पत्नी को सरकारी सेवक की मृत्यु के पहले पेंशन का लाभ मिल रहा हो)
35	अनुकंपा नियुक्ति मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा आवेदन करने के लिए समय सीमा सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक निर्धारित है। क्या इस समय सीमा में छूट दी जा सकती है?	नहीं।
36	नियुक्ति के लाभ हेतु आवेदक को कौन–कौन से प्रमाण–पत्र समर्पित करने होते है?	पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र मूल अनियोजन प्रमाण–पत्र आवेदक का उम्र प्रमाणन हेतु प्रमाण–पत्र आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र मूल मृत्यु प्रमाण–पत्र (सरकारी सेवक का) मूल आवासीय प्रमाण–पत्र मूल आय प्रमाण–पत्र मूल जाति प्रमाण–पत्र अनुकम्पा आवेदक के पक्ष में आश्रितों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनुकम्पा आवेदक का स्व–घोषणा शपथ–पत्र अनुकम्पा आवेदक का आचरण प्रमाण–पत्र